क झ य घ छ

ह इ

द त

ष थ

ख घ

ऄ अ आ इ ई ईं उ ऊ ऋ ॠ ऌ ऍ ऎ ए ऐ ऑ ऒ ओ औ

क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ण त थ द ध न ऩ प फ ब भ म य र ऱ ल

ळ ऴ व श ष स ह क़ ख़ ग़ ज़ ड़ ढ़ फ़ य़

◌ा ◌ि ◌ी ◌ु ◌ू ◌ृ ◌ॄ ◌ॢ ◌ॅ ◌ॆ ◌े ◌ै ◌ॉ ◌ॊ ◌ो ◌ौ ◌् ◌ँ ◌ं ◌ः ◌़

◌ॅ ◌्र ◌र्ं ◌र्ीं ◌र्ीं ◌र्ें ◌र्ें ◌र्ें ◌र्ैं ◌र्ैं ◌र्ैं ◌र्ों ◌र्ौं ◌र्ों ◌र्ौं ◌ु ◌ू

क्क क्ख क्च क्ज क्ट क्ण क्त क्त्य क्त्र क्त्व क्थ क्द क्न क्प क्प्र क्फ क्म क्य

क्र क़्र क्ल क्व क्व्य क्श क्ष क्ष्म क्ष्म्य क्ष्य क्ष्र क्ष्व क्स क्स्ट क्स्ड क्स्त क्स्प्र क्स्प्ल

ख्ख ख्त ख्न ख्म ख्य ख्र ख़्र ख्व ख्श ग्ग ग्घ ग्ज ग्ण ग्द ग्ध ग्ध्य ग्ध्व ग्न ग्न्य ग्ब

ग्भ ग्भ्य ग्म ग्य ग्र ग़्र ग्र्य ग्ल ग्व ग्स घ्न घ्म घ्र घ्य ङ्क ङ्क्ष ङ्ग ङ्घ ङ्म ङ्य च्च च्छ च्छ्व

च्न च्म च्य च्र छ्य छ्व ज्क ज्ज ज्ज्ञ ज्ज्य ज्ज्व ज्झ ज्ञ ज्ञ्य ज्ट ज्ड ज्त ज्द ज्न ज्ब

ज्म ज्य ज्र ज़्र ज्व झ्न झ्म झ्य झ्र ञ्च ञ्ज ञ्छ ञ्ज ञ्ज्य ञ्श ट्ट ट्ट्य ट्ठ ट्य ठ्ठ ठ्ठ्य ठ्य

ड्ड ड्ड्य ड्ढ ड्य ढ्ढ ढ्य ण्ट ण्ठ ण्ड ण्ढ ण्ण ण्म ण्य ण्व त्क त्क्य त्क्र त्क्व त्क्ष त्ख

त्न त्र त्त त्त्य त्त्व त्थ त्न त्न्य त्प त्प्र त्प्ल त्फ त्म त्म्य त्य त्र त्र त्र्य त्व्य त्ल त्व त्स

त्स्न त्स्य त्स्व थ्य थ्र थ्व द्ग द्घ द्द द्द्य द्ध द्ध्य द्न द्ब द्भ द्भ्य द्म द्य द्र द्र्य द्व द्व्य ध्न ध्य

ध्म ध्य ध्र ध्व न्क न्क्स न्च न्छ न्ट न्ड न्त न्त्य न्त्र न्त्स न्थ न्थ्य न्थ्व न्द न्द्र न्द्व न्ध

न्ध्य न्ध्र न्ध्व न्न न्न्य न्प न्प्र न्फ न्भ न्भ्य न्भ्व न्म न्म्य न्स्म्य न्य न्र न्व न्स न्स्ट न्स्य

न्ह न्ह्य प्ट प्त प्त्य प्न प्प प्फ प्म प्य प्र प्ल प्व प्स फ्ज फ्ट फ्त फ्प फ्फ फ्य फ्र

फ़्र फ्ल फ्श ब्ज ब्ज्य ब्झ ब्त ब्द ब्ध ब्ध्व ब्न ब्ब ब्भ ब्भ्र ब्य ब्र ब्ल ब्ल्य ब्व ब्श

ब्स ब्ज़ भ्य भ्र भ्र्य भ्ल भ्व म्त म्द म्न म्प म्प्र म्ब म्ब्य म्ब्र म्भ म्भ्य म्भ्र म्भ्व म्म

म्य म्र म्ल म्व म्श म्स म्ह य्य य्र य़्र ल्क ल्क्य ल्ख ल्ग ल्ज ल्ज़ ल्ट ल्ठ ल्ड ल्ढ ल्त

ल्थ ल्थ्य ल्द ल्द्र ल्प ल्फ ल्ब ल्भ ल्म ल्य ल्र ल्ल ल्ल्य ल्व ल्व्ड ल्स ल्ह ल्ह्य व्य

व्र व्ल व्व व्ह श्क श्च श्छ श्ट श्त श्न श्म श्र श्य श्र्य श्ल श्व श्श श्क़ ष्क ष्क्र ष्ट

ष्ट्य ष्ठ ष्ठ्य ष्ण ष्ण्य ष्प ष्प्र ष्फ ष्म ष्म्य ष्य ष्र ष्व ष्ष स्क स्क्र स्क्व स्ख स्ज स्ट

स्त स्त्य स्त्र स्त्व स्थ स्थ्य स्द स्न स्प स्प्र स्फ स्ब स्म स्म्य स्य स्र स्ल स्व स्स ह्ण ह्न

ह्म ह्म्य ह्य ह्र ह्ल ह्व ळ्य क़्त क़्फ क़्ब क़्म क़्क़ क़्फ़ ख़्त ख़्म ख़्य ख़्व ख़्श ख़्स

ज़्य ज़्ज़ फ़्त फ़्स फ़्ज़ फ़्फ़ ट्ट रु रू श्रृ ह्

क् क्ष् क्ष्म् ख् ग् ग्र् घ् घ्र् च् ज् ज्ञ् झ् ञ् ण् त् त्र् त्त् थ् ध् ध्र् न् ऩ् न्न् न्त् प् प्र् फ् ब् भ् भ्र् म् म्र् य् ल्

ल्ल् ळ् ऴ् व् व्र् श् श्र् ष् ष्र् स् स्र् ह् क़् ख़् ग़् ज़् फ़् य़्

० १ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ ॐ

ऋ च ढ ल ङ

Vodafone Hindi from Dalton Maag, designed and built by Tiro Typeworks

लाइफटाइम प्रीपेड रु ४९५ चले ज़िन्दगी भर

बेहतरीन नेटवर्क के लिए हमने आपके यहां वोडाफ़ोन के नया टावर लगाया है, जिससे आप अपने परिवार वालों और दोस्तों से कहीं भी बात कर सकते हैं. दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल कंपनी-वोडाफ़ोन, अब आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन गई हैं.

वोडाफ़ोन आपके लिए लाया है बहुत सारे ऑफ़र्सः

कम से कम में हो जाइए मोबाइल

- हर महीना सिर्फ़ रु 99 देकर आप मोबाल रह सकते हैं.
- एक बार रु 99 से रीचार्ज कीजिए और हर बार फुल टॉकटाइम
- पाइए, वो भी बिना किसी चार्ज के. इसके अलावा छोटा रीचार्ज पर भी पाइए फुल टॉकटाइम.
- आपको मिलेगी 30 दिन की वैलिडिटी बिना टॉकटाइम के.

लाइफ़ टाइम प्रीपेड @ रु 495

- सिर्फ़ रु 495 से अपना वोडाफ़ोन मोबाइल फ़ोन रीचार्ज कीजिए और ज़िंदगी भर मुफ़्त इनकमिंग पाइए.
- अगले बर रीचार्ज पर फुल टॉकटाइम पाएं (सर्विस टैक्स घटाकर)
- कनेक्शन जारी रखने के लिए 6 महीने में कुल रु 200 का रीचार्ज करवाएं.

केबल : रु २५० महीना

मोबाइल : रु ९९ महीना

हच का रिचार्ज रु ९९. चले पूरा महीना

मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा

प्रस्तावना

चूंकि मानव परिवार के सभी सदस्यों के जन्मजात गौरव और समान तथा अविच्छिन्न अधिकार की स्वीकृति ही विश्व-शान्ति, न्याय और स्वतन्त्रता की बुनियाद है, चूंकि मानव अधिकारों के प्रति उपेक्षा और घृणा के फलस्वरूप ही ऐसे बर्बर कार्य हुए जिनसे मनुष्य की आत्मा पर अत्याचार किया गया, चूंकि एक ऐसी विश्व-व्यवस्था की उस स्थापना को (जिसमें लोगों को भाषण और धर्म की आज़ादी तथा भय और अभाव से मुक्ति मिलेगी) सर्वसाधारण के लिए सर्वोच्च आकांक्षा घोषित किया गया है, चूंकि अगर अन्याययुक्त शासन और जुल्म के विरुद्ध लोगों को विद्रोह करने के लिए—उसे ही अन्तिम उपाय समझ कर—मजबूर नहीं हो जाना है, तो कानून द्वारा नियम बनाकर मानव अधिकारों की रक्षा करना अनिवार्य है, चूंकि राष्ट्रों के बीच मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों को बढ़ाना ज़रूरी है, चूंकि संयुक्त राष्ट्रों के सदस्य देशों की जनताओं ने बुनियादी मानव अधिकारों में, मानव व्यक्तित्व के गौरव और योग्यता में और नरनारियों के समान अधिकारों में अपने विश्वास को अधिकार-पत्र में दुहराया है और यह निश्चय किया है कि अधिक व्यापक स्वतन्त्रता के अन्तर्गत सामाजिक प्रगति एवं जीवन के बेहतर स्तर को ऊंचा किया जाया, चूंकि सदस्य देशों ने यह प्रतिज्ञा को है कि वे संयुक्त राष्ट्रों के सहयोग से मानव अधिकारों और बुनियादी आज़ादियों के प्रति सार्वभौम सम्मान की वृद्धि करेंगे, चूंकि इस प्रतिज्ञा को पूरी तरह से निभाने के लिए इन अधिकारों और आज़ादियों का स्वरूप ठीक-ठीक समझना सबसे अधिक ज़रूरी है । इसलिए, अब, सामान्य सभा घोषित करती है कि मानव अधिकारों की यह सार्वभौम घोषणा सभी देशों और सभी लोगों की समान सफलता है । इसका उद्देश्य यह है कि प्रत्येक व्यक्ति और समाज का प्रत्येक भाग इस घोषणा को लगातार दृष्टि में रखते हुए अध्यापन और शिक्षा के द्वारा यह प्रयत्न करेगा कि इन अधिकारों और आज़ादियों के प्रति सम्मान की भावना जाग्रत हो, और उत्तरोत्तर ऐसे राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय उपाय किये जाएं जिनसे सदस्य देशों की जनता तथा उनके द्वारा अधिकृत प्रदेशों की जनता इन अधिकारों की सार्वभौम और प्रभावोत्पादक स्वीकृति दे और उनका पालन करावे ।

अनुच्छेद १. सभी मनुष्यों को गौरव और अधिकारों के मामले में जन्मजात स्वतन्त्रता और समानता प्राप्त है । उन्हें बुद्धि और अन्तरात्मा की देन प्राप्त है और परस्पर उन्हें भाईचारे के भाव से बर्ताव करना चाहिए ।

अनुच्छेद २. सभी को इस घोषणा में सन्निहित सभी अधिकारों और आज़ादियों को प्राप्त करने का हक़ है और इस मामले में जाति, वर्ण, लिंग, भाषा, धर्म, राजनीति या अन्य विचार-प्रणाली, किसी देश या समाज विशेष में जन्म, सम्पत्ति या किसी प्रकार की अन्य मर्यादा आदि के कारण भेदभाव का विचार न किया जाएगा ।
इसके अतिरिक्त, चाहे कोई देश या प्रदेश स्वतन्त्र हो, संरक्षित हो, या स्त्रशासन रहित हो या परिमित प्रभुसत्ता वाला हो, उस देश या प्रदेश की राजनैतिक, क्षेत्रीय या अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के आधार पर वहां के निवासियों के प्रति कोई फ़रक़ न रखा जाएगा ।

अनुच्छेद ३. प्रत्येक व्यक्ति को जीवन, स्वाधीनता और वैयक्तिक सुरक्षा का अधिकार है ।

अनुच्छेद ४. कोई भी गुलामी या दासता की हालत में न रखा जाएगा, गुलामी-प्रथा और गुलामों का व्यापार अपने सभी रूपों में निषिद्ध होगा ।

अनुच्छेद ५. किसी को भी शारीरिक यातना न दी जाएगी और न किसी के भी प्रति निर्दय, अमानुषिक या अपमानजनक व्यवहार होगा ।

अनुच्छेद ६. हर किसी को हर जगह क़ानून की निग़ाह में व्यक्ति के रूप में स्वीकृति-प्राप्ति का अधिकार है ।

अनुच्छेद ७. क़ानून की निग़ाह में सभी समान हैं और सभी बिना भेदभाव के समान क़ानूनी सुरक्षा के अधिकारी हैं । यदि इस घोषणा का अतिक्रमण करके कोई भी भेद-भाव किया जाया उस प्रकार के भेद-भाव को किसी प्रकार से उकसाया जाया, तो उसके विरुद्ध समान संरक्षण का अधिकार सभी को प्राप्त है ।

अनुच्छेद ८. सभी को संविधान या क़ानून द्वारा प्राप्त बुनियादी अधिकारों का अतिक्रमण करने वाले कार्यों के विरुद्ध समुचित राष्ट्रीय अदालतों की कारगर सहायता पाने का हक़ है ।

Vodafone Hindi from Dalton Maag, designed and built by Tiro Typeworks